न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

मद्यनिषेध और उत्पाद वाद संख्या–66/2017

राज्य बनाम संजीव यादव उर्फ चिप्पा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
27.7.2017	**आदेश** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–3478/सी0आर0, दिनांक 05.07.2017 के द्वारा अपराधकर्मी संजीव यादव उर्फ चिप्पा, पिता–स्व0 साधु यादव, ग्राम–दाननगनर, थाना–खगड़िया, जिला–खगड़िया को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपराधकर्मी के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधिक मुकदमें खगड़िया थाना में दर्ज है:– 01. खगड़िया थाना कांड संख्या–572/2016 दिनांक 25.09.2016 धारा–270/273 भा0द0वि0 एवं 47/54/57 बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 में आरोप पत्र संख्या–901/2016 दिनांक 22.11.2016 समर्पित 02. खगड़िया थाना कांड संख्या–631/2016 दिनांक 06.11.2016 धारा–30/35/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र संख्या–349/2017 दिनांक 29.06.2017 समर्पित । मुकदमें में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। Offence against property or Offence affecting human body से संबंधित कार्यों के द्वारा आदतन शराब कारोबारी है। चोरी छिपे शराब को रखने एवं बेचने की संभावना है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ने की संभावना है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी न्यायालय में अनुपस्थित। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को अपने बचाव में कोई दावा/पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते है/सक्षम नहीं है। नोटिस में उपस्थित रह कर कारण पृच्छा समर्पित करने के स्पष्ट निदेश के बाबजुद उपस्थित नहीं होने से आरोप का स्वीकारात्मक पक्ष प्रदर्शित होता है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद अधिनियम) उपस्थित हुए तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करना उचित एवं न्यायसंगत बताया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है एवं खगड़िया अर्न्तगत निरन्तर शराब रखने एवं बेचने के कारण मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अर्न्तगत ये आदतन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें प्रथम बार खगड़िया थाना कांड संख्या–572/2016 में सितम्बर 2016 में गिरफ्तार किया गया था परन्तु जमानत पर छुटने के पश्चात ये पुनः शराब के व्यापार में लगे रहे तथा पुनः खगड़िया थाना कांड संख्या–631/2016 के अर्न्तगत माह नवम्बर 2016 में गिरफ्तार किए गए। इनके इस प्रकार के कृत्य से यह विश्वास करने का प्रर्याप्त आधार है कि ये भविष्य में भी शराब के कारोबार से संबंधित कृत्यों में लगे रह सकते हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंधन	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	कर सकते हैं। संजीव यादव उर्फ चिप्पा को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा लिखित नोटिस द्वारा सूचना देकर स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर भी दिया गया है। अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित रहें। संजीव यादव उर्फ चिप्पा के कार्य वृत तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं क्षेत्र में उनके गतिशील रहने की स्थिति में मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों के भंग होने की प्रबल संभावना है। उन्हें extern किये जाने से शांति स्थापित रहने की संभावना हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66(3)(क) अंतर्गत आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः मैं जय सिंह, भा0प्र0से0, जिला समाहर्त्ता, खगड़िया मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत संजीव यादव उर्फ चिप्पा पे0–स्व0 साधु यादव, साकिन–दाननगर, थाना– खगड़िया, जिला–खगड़िया का निर्दिष्ट दिनांक 30.07.2017 से अगले 6 (छः) माह तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित करता हूँ। संजीव यादव उर्फ चिप्पा पे0–स्व0 साधु यादव साकिन–दाननगर थाना–खगड़िया जिला खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.07. 2017 से अगले 06(छः) माह तक अर्थात 30.01.2018 तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगें। बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत पारित इस आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में धारा 70 के अर्न्तगत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अधिनियम की धारा 68 के अर्न्तगत यह अनुमति प्रदान की जाती है कि न्यायालय वाद की सुनवाई में यदि संजीव यादव उर्फ चिप्पा की उपस्थिति की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस तिथि विशेष को वे खगड़िया राजस्व जिले में प्रवेश कर सकते हैं परन्तु न्यायालय में उपस्थिति के 12 घंटों के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिले के सीमा से बाहर चले जाना होगा। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक आगमन की सूचना थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर जिला खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी जिसका इन्द्राज स्टेशन डायरी में किया जाएगा। इस आदेश से थानाध्यक्ष खगड़िया/थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को संसूचित कर दें। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया समाहर्त्ता, खगड़िया	